सं. निदे.(एफ एंड वीपी)/43/सीएसी/एफएसएसएआई/09

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

तृतीय एवं चतुर्थ तल, एफडीए भवन, कोटला रोड़,

नई दिल्ली–110002

दिनांकः 15.11.2011

विषयः दिनांक 27 सितंबर, 2011 (मंगलवार) को 11 बजे, होटल ताज विवांता, नई दिल्ली में आयोजित एफएसएसएआई की केंद्रीय सलाहकार समिति की पंचम बैठक का कार्यवृत

अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 27 सितंबर, 2011 (मंगलवार) को 11 बजे, होटल ताज विवांता, नई दिल्ली में एफएसएसएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री वी.एन. गौड़ की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) की पंचम बैठक का कार्यवृत अवलोकन और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करने का निर्देश हुआ है।

अतः, अनुरोध है कि आप इस पत्र के जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां अधोहस्ताक्षरी को भेज दें, अन्यथा कार्यवृत्त को अंतिम माना जाएगा।

(डा. डी.एस. यादव)

उपनिदेशक (तक.)

फोन नं.: 011–23231681

ईमेलः **dsyadav@fssai.gov.in**

सेवा मेंः संलग्न सूची के अनुसार

सूची

1. सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली। फैक्सः 23386004 ई–मेलः secy-agri@nic.in
2. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली। फैक्सः 23061252
3. सचिव, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली। फैक्सः 23388006 ई–मेलः secyahd@nic.in
4. सचिव (एफएंडपीडी), खाद्य एव सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, कृषि भवन, नई दिल्ली। फैक्सः 23386052 ई–मेलः secy-food@nic.in
5. सचिव (सीए), उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, कृषि भवन, नई दिल्ली। फैक्सः 23384716
6. सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–110049, फैक्सः 26493012
7. वाणिज्य सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली। फैक्सः 23061796
8. सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली। फैक्सः 23063045, ई–मेलः secretary-msme@nic.in
9. सचिव (पीआर), पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली। फैक्सः 23389028, ई–मेलः secy-mopr@nic.in
10. सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण भवन सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली। फैक्सः 24361896 ई–मेलः envisect@nic.in
11. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। फैक्सः 23381495, ई–मेलः secy.wcd@nic.in
12. सचिव, जैव–प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली। फैक्सः 24362884
13. श्री सतीश गुप्ता, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, जम्मू एवं कश्मीर तथा नियंत्रक, औषधि एवं खाद्य नियंत्रण संगठन, राज्य खाद्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, पटौली–मंगोट्रीयन, जम्मू–180007, जम्मू एवं कश्मीर। टेलीफैक्सः 0191– 2538527, 2538626, मोबाइलः09419180734, ई–मेलः controllerdrugsfood@yahoo.in

14. श्री अश्वनी कुमार राय (आईएएस), खाद्य सुरक्षा आयुक्त मध्य प्रदेश और नियंत्रक औषधि (खाद्य एवं औषधि प्रशासन), मध्य प्रदेश सरकार, ईदगाह हिल्स, भोपाल–462001, टेलीफैक्सः 0755–2665385, 2660690, मोबाइलः 9425302060 ई–मेलः fda_mp@hotmail.com
15. डा. बी.आर. मीना, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, राजस्थान और निदेशक (सार्वजनिक स्वास्थ्य), निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान सरकार, स्वास्थ्य भवन तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर। टेली–फैक्सः 0141–2229858 मोबाइलः 09829164678, ई–मेलः directorph-rj@nic.in
16. डा. (श्रीमती) पी. सुचरित्रा मूर्ति, खाद्य सुरक्षा आयुक्त आंध्र प्रदेश और निदेशक, निवारक चिकित्सा संस्थान, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला और खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण, नरयाणागुडा, हैदराबाद–500029, टेलीः 0140–27560191/27552203 फैक्सः 040–27567894 मोबाइलः +919849905228 ई–मेलः diripm@yahoo.co.in
17. श्री एच.जी. कोशिया, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, गुजरात और आयुक्त, खाद्य एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन, गुजरात सरकार, ब्लॉक सं 8, प्रथम तल, डा. जीवराज मेहता भवन, गांधी नगर–382010, गुजरात टेलीफोनः 079–23253417/23253399/फैक्स :079–2325333400,
18. श्री बी.एस. रामा प्रसाद (आईएएस), खाद्य सुरक्षा आयुक्त कर्नाटक, आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, कर्नाटक सरकार, आनंदा राव सर्किल, बैंगलौर–560009, टेलीः 080–22354085, 22874039, 22210248 फैक्सः 080–22201813, मोबाइलः 09448494094, ईमेलः comhfw@gmail.com
19. डा. एस. रविंद्रम (आईएएस), खाद्य सुरक्षा आयुक्त और रजिस्ट्रार, कॉ–ऑपरेटिव सोसाइटी, केरल, कार्यालयः खाद्य सुरक्षा आयुक्त, थाइकुड, पीओ थिरूवनंथपुरम–695014, टेलीः 0471–22322833, 2322844 फैक्सः 0471–2322855, मोबाइलः 09446471982, ई–मेलः foodsafetykerala@gmail.com
20. श्री सतीश चंद्र (आईएएस), खाद्य सुरक्षा आयुक्त पंजाब और मुख्य सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण), पंजाब सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, कमरा सं: 624, छठां तल, मिनी सचिवालय, सेक्टर–9 चंडीगढ़, पंजाब। टेलीः 0172–2743442, फैक्सः 0172–5016221, मोबाइलः 09815074500, ईमेलः pbsatishias@gmail.com
21. टीएमटी. गिरिजा वैद्ययानाथन (आईएएस), खाद्य सुरक्षा आयुक्त, तमिलनाडू और प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, फोर्ट सैंट जार्ज, सचिवालय, चेन्नई–600009, टेलीः 044–25671875, फैक्सः 044–25671253, ईमेलः hfsec@tn.gov.in, gigiv_40@yahoo.com
22. श्री सुकुमार भट्टचार्य, खाद्य सुरक्षा आयुक्त पश्चिम बंगाल और विशेष सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, स्वास्थ्य भवन, तृतीय तल, विंग "बी",

जीएन–29, सेक्टर–5, साल्ट लेक, कोलकोता–7000091, टेलीफैक्सः 033–23574455, मोबाइलः 09433289989, ईमेलः sssb@wbhealth.gov.in

23. श्री के.एस. सिंह (आईएएस), खाद्य सुरक्षा आयुक्त, दिल्ली एवं निदेशक (पीएफए), दिल्ली सरकार, ए–20, लारेंस रोड़, औद्योगिक क्षेत्र, रिंग रोड़, दिल्ली–110035, टेलीः 011–27194858, फैक्सः 011–27153846, ई–मेलः dirpfa@nic.in
24. श्री कलिंग तयांग, (आईएएस), खाद्य सुरक्षा आयुक्त अरुणाचल प्रदेश एवं सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण), अरुणाचल प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, इटानगर, अरुणाचल प्रदेश–791111, टेली–फैक्सः 0360–2244513, मोबाइलः 09402476546, ई–मेलः ktayeng@yahoo.com, ktayeng@rediffmail.com
25. श्री के.आर. मीना (आईएएस), सचिव स्वास्थ्य और राजस्व, स्थानीय प्रशासन विभाग, मुख्य सचिवालय, गोबर्ट एवेन्यू, पांडीचेरी–605001, टेली फैक्सः 0413–2334144, मोबाइलः 09442149897, ई–मेलःsecylad@pon.nic.in
26. श्री महेश जगाडे (आईएएस), खाद्य सुरक्षा आयुक्त महाराष्ट्र और आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन महाराष्ट्र, एस.नं. 341, बान्द्रा कुर्ला, कॉम्पलैक्स, मधुसूदन कालेकर मार्ग, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई–400051, टेलीः 022–26592207, 26590548, फैक्सः 022–26591959, मोबाइलः 09921007558, ईमेलः zmahesh@hotmail.com
27. श्री बी. विजयन (आईएएस), खाद्य सुरक्षा आयुक्त, गोवा और प्रधान सचिव एवं सचिव (स्वास्थ्य), सचिव कार्यालय(स्वास्थ्य), पोरवोरीम, गोवा–403521 टेलीः 0832-2419440, 2224639, फैक्सः 0832-2419687, 2224639, मोबाइल :09527002327 ईमेलः b.vijayan@nic.in
28. श्री के. सुब्राह्मनियम, खाद्य सुरक्षा आयुक्त छत्तीसगढ और नियंत्रक, खाद्य और औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ सरकार, कालीबाड़ी, निकट महिला पुलिस स्टेशन, रायपुर–492001, टेलीः 0771-4080322 फैक्सः 0771-2221322 मोबाइलः 09826148944, ईमेलः maniiyer1958@yahoo.co.in
29. श्री मनोज कुमार साहू (आईएएस), खाद्य सुरक्षा आयुक्त, दमन एवं दीव और कलक्टर, ओआईडीसी कैम्पस, संघ राज्य क्षेत्र दमन एवं दीव, सचिवालय फोर्ट क्षेत्र के निकट, मोती दमन–396220 टेलीः 0260-2230470, 2230689 फैक्सः 0260-2230570 ईमेलः collectordaman@gmail.com
30. श्री रामनिवास, आयुक्त खाद्य सुरक्षा, चंडीगढ़ और सचिव (स्वास्थ्य), चंडीगढ़, यूटी सचिवालय, सेक्टर–9, चंडीगढ़, फोनः 0172-2740337 ईमेलः gulshangirdhar@yahoo.com
31. डा. राकेश गुप्ता (आईएएस), खाद्य सुरक्षा आयुक्त, हरियाणा और मिशन निदेशक एनआरएचएम, खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा सरकार, प्रयत्न भवन, बेज़ 55–58, सेक्टर 2, पंचकुला, हरियाणा, टेलीः 0172- 2573922 फैक्सः 0172- 2580466, मोबाइलः 09501014440 ईमेलः md-hrnrhm@nic.in

32. श्रीमती मनीषा पंवार, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड सरकार, 4–सुभाष रोड़, सचिवालय, देहरादून–248001, उत्तराखंड। फोनः 0135-2711718, 2712061 फैक्सः 0135-2712113 ईमेलः healthsecyuk@gmail.com
33. श्रीमती अर्चना अग्रवाल (आईएएस), खाद्य सुरक्षा आयुक्त उ.प्र., सचिव और आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार, नवीन भवन, उ.प्र. सचिवालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001, टेली–फैक्सः 0522-2237617 मोबाइलः 09415126400 ईमेलः commissionerfda.up@gmail.com
34. डा. श्यामाघन बिसवास, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा ओडिसा और निदेशक (सार्वजनिक स्वास्थ्य), विभाग प्रमुख भवन, भुवनेश्वर–751001, ओडिसा, टेलीः 0674-2396977 फैक्सः 0674-2390674 मोबाइलः 09437381619 ईमेलः dph.orissa@gmail.com
35. डा. एस. के. पाल, आयुक्त खाद्य सुरक्षा, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन सचिवालय, डीएचएस कार्यालय, पोर्टब्लेयर–744102, टेलीः 03192-233331, फैक्सः03192-232910, मोबाइलः 09434280898, ईमेलः drsk_paul@yahoo.co.in
36. डा. पी. हजेला (आईएएस), आयुक्त खाद्य सुरक्षा असम और सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, असम सरकार, असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहटी–781006, टेली–फैक्सः 0361-2237366, ईमेलः prateek.hajela@gmail.com
37. श्री के. मोसिस चले, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा और सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण), मणिपुर सरकार, कमरा नं. 233, पुराना सचिवालय, इंफाल, मणिपुर–795001, टेलीः 0385-2450682, 2450513, फैक्सः 0385- 2456395, मोबाइलः 09436893826, ईमेलः m.chalai@yahoo.co.in
38. श्री एस. के. राय (आईएएस), आयुक्त खाद्य सुरक्षा, प्रधान सचिव त्रिपुरा सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सचिवालय कॉम्प्लैक्स, खेजूर बगान, त्रिपुरा सरकार, अगरतला–799006, त्रिपुरा। टेलीः 0381-2415058, फैक्सः 0381-2410145, ईमेलः dfwpm_agt@yahoo.co.in, sudipkin@yahoo.com
39. श्री आर. एफ. लोठा, अतिरिक्त आयुक्त एफडीए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, कोहिमा–797001, नागालैण्ड, फोनः 0370-2270457, फैक्सः 0370-2270062, मोबाइलः 919436005825, ईमेलः holin_z@yahoo.co.in
40. श्री डी. पी. वहलांग (आईएएस), आयुक्त और सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), कमरा नं. 315, अतिरिक्त सचिवालय भवन, शिलांग, मेघालय–793001, टेली–फैक्सः 0364-2226978, मोबाइलः 09862011111, ईमेलः dwahlang@yahoo.com
41. डा. के. भंडारी, आयुक्त एवं सचिव (स्वास्थ्य देखभाल, मानव सेवाएं एवं परिवार कल्याण) विभाग, सिक्किम सरकार, तशिलंग, गंगटोक–737102, फोनः 03592-202633, फैक्सः 03592-2204481, मोबाइलः 09434000013 ईमेलःhealthsecyskm@yahoo.com

42. श्री एम. जोहमिंगथांगी (आईएएस), सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण), मिजोरम सरकार, सचिवालय, न्यू केपिटल कॉम्पलैक्स, एजावल–796001, मिजोरम, फोनः 0389- 2328895, फैक्सः 0389-2320162, मोबाइलः 09402112155, ईमेलः secyhealthmiz@gmail.com

43. श्री के. विद्यासागर (आईएएस), मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार, नेपाल हाउस, डोरांडा, रांची–834002, टेलीः 0651-2491033, फैक्सः 0651-2490314, मोबाइलः 09771407778, ईमेलः kasi_vidyasagar@yahoo.co.in

44. श्री संजय कुमार (आईएएस), सचिव स्वास्थ्य विभाग एवं कार्यकारी निदेशक, राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी, विकास भवन, नया सचिवालय भवन, पटना–800001, टेलीः 0612-2215809, 2281232, फैक्सः 0612-2224608, मोबाइलः 09473341775, ईमेलः ed_shsb@yahoo.co.in

45. श्री अली रज़ा रिज़वी, आईएएस, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, हिमाचल प्रदेश एवं सचिव (स्वास्थ्य), हिमाचल प्रदेश सरकार, एच.पी. सचिवालय, शिमला–171002 टेली–फैक्सः 0177-2621904, मोबाइल: 09816676222, ईमेलः healthsecy-hp@nic.in

46. श्री संजय गोयल (आईएएस), आयुक्त खाद्य सुरक्षा और कलेक्टर, कलेक्टोरेट, सिलवासा, दादरा एवं नागर हवेली–396230 फोनः 0260-2642721, 2644203, फैक्सः 0260-2642787, मोबाइलः 09913577711, ईमेलः collector-dnh@nic.in.

47. डा. एन. वसंथा कुमार, कलेक्टर एवं विकास आयुक्त और सचिव (स्वास्थ्य), संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप, कवारती–682555, एचपीओ कोची, टेलीः 04896-262256, फैक्सः 04896-263180, मोबाइलः 09446562278, ईमेलः lk-coll@nic.in

48. श्री समीर बर्दे, सहायक महासचिव, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन फूड ट्रेड एंड इंडस्ट्री (फिक्की का फूड विंग) / रिटेल, फोन नंः 23311920, 23738162, 23738760-70 (विस्तार) 310, ईमेलः sameer@ficci.com

49. श्री प्रदीप चौरडिया, चौरडिया फूड प्रोडक्टस, 48/ए, पार्वती इंडस्ट्रीयल एस्टेट, अदीनाथ सोसाइटी के सामने, पुणे–सतारा रोड़, पुणे–411009, टेलीः 09922990064

50. डा. जे टोनपांयोगंडगं वेलिंग, गांव–सनग्रतसु, जिलाः मोकोकचंग, नागालैंड।

51. श्री अरूण बालामट्टी, 815, 7वां क्रास, बनशंकरी, तीसरा फेज, तीसरा ब्लॉक, तीसरी स्टेज, बैंगलोर–560085

52. श्री आर. देसीकन, फांउडर ट्रस्टी, कंसर्ट एडं कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, 3/242 राजेंद्र गार्डन, वेटुवनकेनी, चेन्नई–600041, टेली/फैक्सः (044)24494576, (044)24494578 ईमेलः nirdesi@gmail.com, cai.india1@gmail.com

53. श्रीमती केया घोष, कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी, कोलकोता रिसोर्स सेंटर, 3 सुरेन टैगोर रोड़, दूसरा तल, कोलकोता–700019, प. बंगाल, टेली/फैक्सः 033- 24604987, फोन 033-24604985, ईमेलः calcutta@cuts.org

54. डा. एस.पी. वेसीरेड्डी, अध्यक्ष एंव प्रंबध निदेशक, विमता लैब्स लिमिटेड, 142, आईडीए, फेज–II, चेरलापल्ली, हैदराबाद–500051, आंध्र प्रदेश, टेलीः 040-27264141, 040-27264444, फैक्सः 040-27263657, ईमेलः mdo@vimta.com
55. प्रोफेसर गोपाल नायक, भारतीय प्रबंधन संस्थान बैगंलोर (आईआईएमबी), बैनरघटा रोड़, बैंगलोर–560076, फोनः 080-26993194, ईमेलः gopaln@iimb.ernet.in

प्रतिलिपिः

1. सीईओ के पीएस, एफएसएसएआई
2. निदेशक (प्रवर्तन), एफएसएसएआई
3. सारे संबधित अधिकारी, एफएसएसएआई

केंद्रीय सलाहकार समिति की 5वीं बैठक के कार्यवृत्त

दिनांक 27 सितंबर, 2011, को होटल ताज विवांता, नई दिल्ली में आयोजित भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की केंद्रीय सलाहकार समिति की 5वीं बैठक का कार्यवृत्त।

केंद्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष और एफएसएसएआई के सीईओ, श्री वी.एन. गौड़ ने केंद्रीय सलाहकार समिति की पांचवी बैठक के लिए सभी सदस्यों और उनके प्रतिनिधियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। बैठक में शामिल होने वाले प्रतिभागियों की सूची **अनुलग्नक–1** में दी गई है।

अध्यक्ष ने अपने उद्घाटन भाषण में यह उल्लेख किया कि हालांकि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में पारित किया गया था, लेकिन खाद्य प्राधिकरण की वास्तविक कार्यप्रणाली खाद्य विनियमों के साथ काम कर रहे अन्य मंत्रालयों और विभागों के कर्मचारियों के स्थानांतरण के साथ जनवरी 2009 से शुरु की गई। व्यापक हितधारकों और सार्वजनिक विचार–विमर्श के दो से अधिक वर्षों के बाद, खाद्य सुरक्षा और मानक नियम एवं विनियम प्रकाशित किए गए और अधिनियम 2006 की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित मौजूदा अधिनियमों व आदेशों को निरस्त कर दिया गया। इसके साथ ही देश में नए खाद्य नियमों को लागू करने के लिए प्रशासनिक और प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करने के लिए राज्य और सं.शा. क्षेत्रों ने भी कई कदम उठाए। अब एफएसएस, अधिनियम के कार्यान्वयन के साथ सरल चरण की बजाए प्रथम चरण समाप्त हो चुका है, जो 5 अगस्त 2011 से शुरु हुआ था। दूसरा चरण, जिसे उन्होंने 'एफएसएस, अधिनियम 2006 का काल' कहा, बहुत अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि लोगों की उम्मीद का स्तर बहुत ऊंचा है, वे सभी खाद्य सुरक्षा मामलों में एफएसएस अधिनियम व नियमों को एक रामबाण के रूप में मानते हैं। उन्होंने सार्वजनिक मंच और निर्माताओं की ओर से उठे सवाल पर कहा कि खाद्य अपमिश्रण, अशुद्ध भोजन, और पिछले अधिनियमों के तहत शुरु की गईं शिकायतें आदि जिनसे निपटा जाना है, से पहले ही निपटान का कार्य शुरु किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि के.स.स. लगातार पिछले तीन वर्षों से खाद्य प्राधिकरण को सलाह दे रही है और आगे एफएसएस अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन की चुनौतियों पर विचार–विमर्श करने के लिए आज बैठक है।

केंद्र और राज्य सरकारों के सामने चुनौतियों का जिक्र करते हुए, यह कहा गया कि अधिनियम को एक नया आश्रय दिया गया है जहां खाद्य सुरक्षा अधिकारी एक नई भूमिका, जिम्मेदारी, नामकरण और प्राधिकरण के साथ खाद्य निरीक्षक के एक नए पद पर होगें। वह खाद्य सुरक्षा अधिकारी ही होता है जिसे खाद्य सुरक्षा के बारे में खाद्य बिजनेस ऑपरेटर को मार्गदर्शन देना होता है और जो खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक प्रतिष्ठान में दोष का पता लगाता है। राज्य सरकारें, एफएसएसएआई/राज्य सरकारों द्वारा किए गए/किए जा रहे विभिन्न उपायों के बारे में लोगों को जागरुक कर सकती हैं। उन्होंने तकनीकी क्षमता निर्माण, प्रभावी खाद्य सुरक्षा लेखा परीक्षा प्रणाली और विकास और खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया। राज्य और सं.शा. प्रदेशों को नियमित रूप से खुद और एफएसएसएआई की वेबसाइट पर दी गई जानकारी का अद्यतन करके सूचना और सर्वोत्तम अभ्यासों के आदान–प्रदान पर विचार करना चाहिए। इससे व्यवस्था में पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा।

<u>कार्यसूची मद सं. 1</u>: 24 मई, 2011 को आयोजित के.स.स. की चौथी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

समिति ने बिना किसी निरीक्षण के 24 मई, 2011 को आयोजित के.स.स. की चौथी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्यसूची मद सं. 2: दिनांकित 5 अगस्त 2011 को एफएसएस अधिनियम 2006 के एलान का पालन करते हुए पीएफए से एफएसएसए का परिवर्तन करने के लिए राज्यों/सं.शा. क्षेत्रों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की समीक्षा।

अध्यक्ष ने कहा कि कार्यसूचियों में कुछ वस्तुओं के अतिव्यापी की वजह से, कार्यसूची मद सं. 3, 5ए, 5ब और 7 पर विचार–विमर्श उपर्युक्त कार्यसूचियों के साथ भी किया जा सकता है। राज्यों/सं.शा.क्षेत्रों ने एफएसएस अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रियाधीन कार्यवाही/पहले ही की जा चुकी कार्यवाही के बारे में जानकारी दी।

1) छत्तीसगढ़

- खाद्य सुरक्षा का अलग विभाग अभी तक नहीं बनाया गया है।
- खाद्य सुरक्षा आयुक्तों और नामित अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।
- अंशकालिक आधार पर एक माह के प्रशिक्षण के बाद, सरकारी डॉक्टरों को एक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है क्योंकि पूर्णकालिक एफएसओ की भर्ती प्रक्रियाधीन है।
- खाद्य बिजनेस के लाइसेंसीकरण और पंजीकरण के लिए प्रणाली के संबंध में, राज्य सरकार एफएसएसएआई द्वारा सॉफ्टवेयर विकसित किए जाने का इंतजार कर रही हैं। पंजीकरण और लाइसेंस का अधिकार नगर निगम और पंचायतों को सौंप दिया जाएगा। पंचायत सचिव खाद्य सुरक्षा के प्रभारी होंगे।
- प्रयोगशालाओं का अंतराल विश्लेषण पहले ही क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा कर लिया गया है। राज्य सरकारें प्रयोगशालाओं की अप–ग्रेडिंग की प्रक्रिया में हैं। सेवानिवृत्त खाद्य विश्लेषकों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया है।
- सभी 18 जिलों के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को निर्णायक अधिकारियों के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- अपीलीय न्यायाधिकरण और विशेष अदालतें अभी तक राज्य में स्थापित नहीं हैं। राज्य सरकारों को इस संबंध में सूचित किया गया है।
- मौजूदा सार्वजनिक वकीलों को नए कानून के तहत नौकरियां सौंपी गई हैं।
- नामित अधिकारियों और निर्णायक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण की जरूरत है; जबकि, राज्य में कोई प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध नहीं है। उन्होंने महाराष्ट्र और गुजरात से प्रशिक्षण के लिए समर्थन देने का अनुरोध किया।

राज्य में केवल एक प्रयोगशाला है तथा दो और प्रयोगशालाओं की आवश्यकता है, जिसके लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा। अध्यक्ष ने समिति को सूचित किया कि 12वीं एफवाईपी के लिए एफएसएसएआई ने योजना आयोग के रणनीति और बजट अनुमानो पर प्रकाश डालने से पहले प्रस्तुतीकरण बनाया है। अब योजना आयोग की ओर से एक पत्र संचार प्राप्त किया गया है जिसमें अन्य बातों अलावा खाद्य सुरक्षा के लिए राज्य स्तर पर एक अलग विभाग का गठन करने की शर्त

रखी गई है और सलाह दी गई है कि पंचायती स्तर पर खाद्य सुरक्षा योजना का क्रियान्वयन हर राज्य के लिए जरूरी है।

2) अरुणाचल प्रदेशः

- खाद्य सुरक्षा आयुक्त नियुक्त किया गया है और 1 पूर्णकालिक डीओ और अंशकालिक नामित अधिकारियों के रूप में 15 जिला चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। तीन खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को भी अधिसूचित किया गया है, और प्रत्येक को 5 जिलों का प्रभार दिया गया है।
- खाद्य बिजनेस के लाइसेंसीकरण और पंजीकरण की प्रणाली का विकास प्रक्रियाधीन है।
- राज्य में कोई खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है, भुगतान के आधार पर गुवाहटी, असम जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला की सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है।
- जिले में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को निर्णायक अधिकारी के रूप में और पीठासीन अधिकारी के रूप में एक जिला स्तरीय न्यायधीश को अधिसूचित किया गया है।
- कोई विशेष अदालत का गठन नहीं किया गया है और किसी सार्वजनिक वकीलों को अब तक अधिसूचित नहीं किया गया है।
- ए से टी प्रोग्राम एफएसएसएआई द्वारा आयोजित किया गया है। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों के साथ प्रशिक्षण क्लब द्वारा राज्य में प्रशिक्षण आयोजित किया जा सकता है। पंचायत स्तर पर कोई खाद्य सुरक्षा योजना विकसित नहीं की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 10 और पद बनाए जाएंगे। अध्यक्ष द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि हर जिले के लिए अंशकालिक नामित अधिकारी होने की बजाए, एक से अधिक जिले के लिए इस विषय में विशेषज्ञता के साथ पूर्णकालिक डीओ नियुक्त करना बेहतर होगा क्योंकि वे और अधिक धार्मिक व प्रवीणता से काम कर सकते हैं।

3) मणिपुरः

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के आयुक्त, खाद्य सुरक्षा आयुक्त के रूप में अधिसूचित किए गए हैं जिन्हें खाद्य सुरक्षा उपायुक्त और अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त सहयोग देते हैं।
- इसके अलावा, एफएसओ और डीओ आवश्यकता के आधार पर अधिसूचित किए गए हैं।
- हालांकि, खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए और अधिक कर्मियों की आवश्यकता है। एफएसओ के 9 पद बनाए जा रहे हैं और 9 एफएसओ को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 2 एफएसओ सीमावर्ती क्षेत्रों में आवश्यक हैं।
- चिकित्सा अधिकारियों को जब तक पूर्णकालिक डीओ नियुक्त नहीं हो जाते, डीओ के रूप में अधिसूचित किया जा रहा है।
- अभी तक कोई आईटी आधारित पंजीकरण और लाइसेंस प्रणाली मौजूद नहीं है। हालांकि, आईटी आधारित प्रणाली का विकास प्रक्रियाधीन है।
- प्रयोगशाला के लिए अंतर विश्लेषण, क्यूसीआई द्वारा किया गया है, और इंफाल में एक प्रयोगशाला का निर्माण प्रक्रियाधीन है।

- जिले के एडीएम निर्णायक अधिकारी के रूप में अधिसूचित किए गए हैं और बिना एडीएम वाले जिलों के मामले में, जिला मजिस्ट्रेट को निर्णायक अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- खाद्य सुरक्षा की स्थापना पर पुर्नविचार के मामले में विशेष अदालतें और सार्वजनिक वकील द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है।
- पंचायतों के लिए खाद्य सुरक्षा का विकास प्रक्रियाधीन है।

4) दिल्ली:

- खाद्य सुरक्षा का एक अलग विभाग बनाने के लिए कैबिनेट को प्रस्ताव भेज दिया गया है।
- खाद्य सुरक्षा आयुक्त, नामित अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है। एलएचए को डीओ के रूप में नामित किया गया है।
- 32 पूर्ण कालिक एफएसओ को अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा एफएसओ की पावर भी चिकित्सा अधिकारी को दी गई है।
- विभाग को पंजीकरण और लाइसेंसीकरण करने के लिए सॉफ्टवेयर और एफएसएसआई द्वारा परामर्श जारी रखने का इंतजार है।
- एनएबीएल की मान्यता के लिए प्रयोगशाला का निरीक्षण कर लिया गया है।
- निर्णायक अधिकारियों को अधिसूचित कर लिया गया है और प्रशिक्षण भी कर लिया गया है।
- विशेष अदालत की स्थापना का प्रस्ताव उच्च न्यायालय में है।
- सभी डीओ और एफएसओ को प्रशिक्षित किया गया है।
- विभाग से कोई पुराने लाइसेंस मौजूद नहीं हैं क्योंकि सभी पूर्व लाइसेंसीकरण एमसीडी और एनडीएमसी द्वारा किए गए थे।

5) राजस्थान:

- सभी 33 जिलों में जन स्वास्थ्य निदेशक को खाद्य सुरक्षा आयुक्त के रूप में और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को डीओ के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- 80 एफएसओ को अधिसूचित किया गया है तथा 41 और एफएसओ की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।
- 7 में से 4 प्रयोगशालाओं की अपग्रेडिंग प्रक्रियाधीन है। कोई भी प्रयोगशाला एनएबीएल से मान्यता प्राप्त नहीं है।
- नए अधिनियम के तहत पंजीकरण और लाइसेंसीकरण की प्रणाली का विकास प्रक्रियाधीन है।
- पंचायती स्तर पर खाद्य सुरक्षा योजना का विकास प्रक्रियाधीन है।
- खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है।
- आवश्यक निधि का मूल्यांकन भी प्रक्रियाधीन है।

6) पुद्दुचेरी:

- प्रस्तावित 21 नए पदों के साथ खाद्य सुरक्षा का एक नया विभाग तैयार किया गया है।
- स्वास्थ्य सचिव को खाद्य सुरक्षा आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है और 12 डीओ व 3 एफएसओ को अधिसूचित किया गया है।
- स.शा. क्षेत्र में केवल 1 प्रयोगशाला है और जीएपी विश्लेषण पहले ही किया जा चुका है और एनएबीएल की मान्यता प्रक्रियाधीन है।
- पंजीकरण और लाइसेंसीकरण के फॉर्म प्रिंटिंग प्रक्रिया के अधीन हैं और एक माह के भीतर पूरे कर लिए जाएंगे।
- दो जिला मजिस्ट्रेट को निर्णायक अधिकारियों के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- खाद्य सुरक्षा अपील न्यायालय, विशेष अदालत और सार्वजनिक वकीलों की नियुक्ति का प्रस्ताव अदालत को दिया गया है ।
- एफएसएसएआई द्वारा एफएसओ का प्रशिक्षण पहले ही कर लिया गया है।
- प्रसंस्करण उद्योग प्रयोगशाला के अपग्रेडेशन के लिए वित्तीय सहायता का प्रस्ताव खाद्य मंत्रालय को भेज दिया गया है।

7) पंजाबः

- खाद्य सुरक्षा के लिए अलग विभाग की स्थापना प्रक्रियाधीन है।
- 20 जिलों के लिए डीओ अधिसूचित किए गए हैं, मौजूदा खाद्य निरीक्षकों को एफएसओ के रूप में पुनः पदस्थ किया गया है।
- चूंकि पूर्व पंजीकरण नियम 2004 के तहत किया गया था, न कि पीएफए के तहत, अतः पंजीकरण और लाइसेंसीकरण की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।
- राज्य में केवल 1 खाद्य प्रयोगशाला है जिसका अपग्रेडेशन क्यूसीआई द्वारा किया गया है।
- हर जिले मे एडीएम निर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं।
- पंचायत के लिए खाद्य सुरक्षा योजना अभी भी बनाई जानी बाकि है।
- राज्य में कोई विशेष अदालत और सार्वजनिक वकील नहीं हैं।
- एफएसओ का प्रशिक्षण कर लिया गया है और डीओ व एओ के लिए प्रशिक्षण अक्टूबर 2011 में किया जाएगा।

8) उत्तर प्रदेशः

- खाद्य सुरक्षा के एक अलग विभाग की स्थापना की जा चुकी है।
- नामित अधिकारी राज्य के सभी 72 जिलों में नियुक्त किए गए हैं।
- खाद्य सुरक्षा आयुक्त नियुक्त किए गए हैं और 290 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को अधिसूचित कर लिया गया है।
- राज्य में 6 प्रयोगशालाएं हैं, सभी का अंतर विश्लेषण के लिए आंकलन क्यूसीआई द्वारा किया गया है। राज्य मे केवल एक खाद्य विश्लेषक है, लेकिन आवश्यकता अधिक की है। सार्वजनिक वकीलों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। सभी एफएसओ को प्रशिक्षित किया गया है और कुछ डीओ को प्रशिक्षित किया गया है।

- एफएसएसएआई से टेम्पलेट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा योजना बनाई जाएगी। आईटी आधारित तंत्र प्रक्रियाधीन है। हेल्पलाइन भी कर दी गई है। उन्होनें सब्जियों और फलों मे ऑक्सीटॉक्सीन की जांच के लिए खेती के मापदंडों के बारे में पूछा है और एफएसएसएआई से पैकेजपानी पर सलाहकार जारी करने का अनुरोध किया।

9) तमिलनाडुः

- स्वास्थ्य सचिव एक खाद्य सुरक्षा आयुक्त के रूप में कार्यरत है। पूर्णकालिक खाद्य सुरक्षा आयुक्त की अधिसूचना प्रक्रियाधीन है। एफएसओ की कुल 584 पद सृजित किए गए हैं जिनमें से 533 एफएसएसओ नियुक्त किए गए हैं और 32 चिकित्सा अधिकारियों को डीओ के रूप में अधिसूचित किया गया है। राज्य में 6 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, खाद्य विश्लेषक को भी नियुक्त किया गया है।
- विशेष अदालत की स्थापना और सार्वजनिक वकीलों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।
- एफएसओ के लिए प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया है, लेकिन डीओ का प्रशिक्षण अभी किया जाना है। डीओ के प्रशिक्षण के लिए एफएसएसएआई से अनुरोध किया गया है।
- खाद्य बिजनेस की पंजीकरण और लाइसेंसीकरण प्रणाली प्रक्रियाधीन है और अधोसंरचना विस्ताराधीन है।
- राज्य ऑनलाइन लाइसेंसीकरण प्रणाली को अपनाने का इच्छुक है और एक माह के भीतर इसके कार्यवयन की उम्मीद है।
- राज्य सरकार ने विभाग के लिए 50 करोड़ रु. की मंजूरी दी है।

10) महाराष्ट्रः

- राज्य सरकार ने एफएसएसएआई द्वारा अनुमोदित संरचना को मंजूरी दे दी है। राज्य ने 30 नामित अधिकारियों की नियुक्ति की है तथा डीओ के 32 और पदों को सरकार ने मंजूरी दी है।
- 265 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को अधिसूचित किया गया है और नगर निगम के साथ काम कर रहे 58 एफएसओ का विलय कर दिया गया है।
- खाद्य बिजनेस का हस्तलिखित पंजीकरण पहले ही शुरु किया जा चुका है और पीएफए के तहत मौजूद लाइसेंसो का नई प्रणाली में बदलाव की प्रक्रिया 31 दिसंबर 2011 तक पूरी हो जाने का अनुमान है।
- आईटी आधारित पंजीकरण प्रणाली को एनआईसी पूणे की सहायता से विशेष विशेषताओं जैसे जियो टैगिंग, मोबाइल सर्वर कनेक्टिविटि इत्यादि के साथ विकसित किया जा रहा है।
- विभाग के 7 संयुक्त आयुक्तों को निर्णायक अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- एक अंतरिम उपाय के रूप में उपभोक्ता मंच को खाद्य सुरक्षा अपील न्यायालय के रूप में घोषित किया गया है। मौजूदा सार्वजनिक वकील नए अधिनियम के तहत कार्य भी करेंगे।
- खाद्य सुरक्षा योजना का विकास प्रक्रियाधीन है।

11) उत्तराखंडः

- स्वास्थ्य सचिव को खाद्य सुरक्षा आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। 13 जिलों के मुख्य खाद्य सुरक्षा निरीक्षकों को डीओ के रूप में नियुक्त किया गया है। एफएसओ की अधिसूचना पूरी कर ली गई है। एओ की अधिसूचना प्रक्रियाधीन है।
- लाइसेंसीकरण और पंजीकरण की एक मैन्युअल प्रणाली शीघ्र ही शुरु होगी।
- राज्य को आईटी आधारित पंजीकरण प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए एफएसएसएआई के सॉफ्टवेयर का इंतजार है।
- राज्य में केवल एक प्रयोगशाला है। क्यूसीआई का निरीक्षण पूरा किया जा चुका है और रिपोर्ट आने का इंतजार है, जिसकी वजह से एनएबीएल की मान्यता मिलने में देरी हो रही है। खाद्य विश्लेषक की नियुक्ति हो चुकी है।
- खाद्य सुरक्षा अपील न्यायाधिकरण की स्थापना प्रक्रियाधीन है। विशेष अदालत की स्थापना और सार्वजनिक वकीलों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है और यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।
- डीओ और एफएसओ एफएसएसएआई द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए।

12) मध्यप्रदेश:

- खाद्य सुरक्षा आयुक्त, अंशकालिक डीओ और एफएसओ को अधिसूचित किया गया। सरकार ने नामित अधिकारियों के 20 पदों को मंजूरी दी है।
- राज्य को एफएसएसएआई द्वारा उपलब्ध सॉफ्टवेयर की उम्मीद है, जिसके आधार पर वह अपनी आईटी आधारित पंजीकरण प्रणाली शुरु करेगा।
- पीएफए के तहत प्रयोगशालाओं के लिए अंतर विश्लेषण किया जा चुका है और प्रयोगशालाओं की अपग्रेडिंग के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जा चुका है।
- खाद्य सुरक्षा अपील न्यायाधिकरण की स्थापना प्रक्रियाधीन है।
- राज्य में एक प्रशिक्षण संस्थान है जहां पूर्णकालिक प्रशिक्षण आयोजित किया जा सकता है।
- डीओ और एफएसओ के लिए कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं किया गया है।
- खाद्य सुरक्षा का विकास कार्य अभी शुरु किया जाना है।

13) नागालैंड:

- सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को खाद्य सुरक्षा आयुक्त के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी को नामित अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है और पीएफए के तहत खाद्य निरीक्षक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- क्षेत्र में खाद्य बिजनेस ओपरेटरों के लिए लाइसेंसीकरण और पंजीकरण के कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। नागालैंड खाद्य आपूर्ति के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर है क्योंकि राज्य में बहुत ही कम खाद्य निर्माण उद्योग मौजूद हैं। हालांकि, अध्यक्ष ने बताया कि केवल बड़े उद्योगों लेकिन छोटे एफबीओ और खुदरा व्यापारियों को भी पंजीकरण कराने या लाइसेंस की आवश्यकता है, इसलिए पंजीकरण और लाइसेंसीकरण के प्रणाली तुरंत विकसित किए जाने की आवश्यकता है।
- आईटी आधारित पंजीकरण प्रणाली शुरु की जा चुकी है।

- राज्य में एक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला है, जिसके लिए अंतर विश्लेषण किया जा चुका है और अपग्रेडेशन की प्रक्रिया शुरु हो चुकी है। सार्वजनिक विश्लेषक को खाद्य विश्लेषक के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- जिला मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- खाद्य सुरक्षा अपील न्यायाधिकरण की स्थापना अब तक शुरु नहीं की गई है।
- कोई विशेष अदालत की स्थापना नहीं की गई है और किसी सार्वजनिक वकील की नियुक्ति नहीं की गई है।
- खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए प्रेरण प्रशिक्षण किया जा चुका है, लेकिन नामित अधिकारी के लिए, प्रशिक्षण की योजना नहीं बनाई गई है।
- एक खाद्य सुरक्षा योज्ना का विकास कार्य शुरु नहीं किया गया है, चूंकि यह एक नया क्षेत्र है, अतः एफएसएसएआई की ओर से स्थिर मार्गदर्शन और समर्थन की आवश्यकता है।

14) गुजरातः

- खाद्य सुरक्षा आयुक्त अधिसूचित किए गए हैं, 31 डीओ, 165 एफएसओ और 10 सार्वजनिक विश्लेषकों को अधिसूचित किय गया है।
- डीओ के 19 पद और एफएसओ के 25 नए पदो की मंजूरी के लिए प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है।
- राज्य में 6 प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें से 3 प्रयोगशालाएं राज्य सरकार की हैं और 3 प्रयोगशालाएं कॉर्पोरेशन की हैं। इनमें से, 1 प्रयोगशाला एनएबीएल से मान्य है।
- राज्य ने 22 जन जागरुक कार्यक्रम आयोजित किया है। राज्य सरकार नए अधिनियम के बारे में जन–जागरुकता फैलाने के लिए प्रिंट और मास मीडिया जैसे दूरदर्शन से जुड़ी हुई है।
- लाइसेंसीकरण और पंजीकरण प्रक्रिया शुरु हो गई है, राज्य में आयोजित होने वाले स्थानीय मेले के लिए 200 अस्थाई लाइसेंस और पंजीकरण किए जा चुके हैं।
- 55 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए प्रेरण प्रशिक्षण किया जा चुका है।
- खाद्य सुरक्षा के लिए उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में एक प्रयोगशाला को अपग्रेड किया जा रहा है, 6 करोड़ की वित्तीय सहायता का प्रस्ताव एमएफपीआई को भेज दिया गया है।

15) गोवाः

- नामित अधिकारियों और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ–साथ खाद्य सुरक्षा आयुक्त को अधिसूचित किया गया है। अपर कलेक्टर जनरल को निर्णायक अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- खाद्य सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण का निर्माण प्रक्रियाधीन है।
- राज्य में 1 प्रयोगशाला है, जिसके लिए अंतर विश्लेषण किया गया है, और 3 स्तरीय सुपरवाइजर की नियुक्ति के प्रस्ताव के साथ रिपोर्ट भेज दी गई है।
- माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर के परीक्षण के लिए अधोसंरचना के विकास के लिए सहायता की आवश्यकता है और माइक्रोबायोलॉजिस्ट की भर्ती आवश्यक है।
- पंजीकरण और लाइसेंसीकरण की प्रक्रिया शुरु हो चुकी है। नामित अधिकारी लाइसेंसीकरण पर ध्यान देंगे और वरिष्ठ खाद्य निरीक्षक पंजीकरण पर ध्यान देंगे।

- राज्य, आईटी आधारित पंजीकरण और लाइसेंसीकरण प्रणाली के क्रियांवयन के लिए एफएसएसएआई द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर का इंतजार कर रहा है।
- जागरुकता कार्यक्रम पर्चों, पुस्तिकाओं और टेलिविजन के माध्यम से तीन भाषाओं में शुरु किया गया है।
- राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने निम्नलिखित समस्याएं भेजी हैं:

  1) लाइसेंसीकरण की स्थिति में, उत्पादन प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए व्यक्ति की अलग–अलग योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। चाहे रेस्तरां के मामले में ये योग्यताएं आवश्यक हों या न हों।

  2) एफएसएस अधिनियम, 2006 बताता है कि रिपोर्ट की चार कॉपियां डीओ को भेजी जानी हैं लेकिन एफएसएस नियम, 2011 में, खाद्य सुरक्षा आयुक्त को रिपोर्ट भेजे जाने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

  3) जहां सभी मौजूदा लाइसेंस राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।

  4) जहां केंद्रीय लाइसेंसीकरण पर स्थानीय/राज्य एफएसओ का अधिकार क्षेत्र होगा।

  5) निर्णय करते समय, केवल ऐसे अपराधों को अधिनियम के प्रावधानों के तहत रखा गया है जिनके लिए जुर्माना लगाया जाता है। जहां राज्य खाद्य प्राधिकरण में दंड निधि को प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट अकाउंट प्रमुख होगा ताकि इस निधि का उपयोग क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए किया जा सके।

  6) पंजीकरण के तहत एफबीओ द्वारा भेजे जाने वाले वार्षिक कारोबार से संबंधित दस्तावेज का क्या प्रमाण है।

  7) आईपीसी के तहत खाद्य सुरक्षा अपराधों पर पुलिस कार्यवाही की जाएगी।

एफएसएसएआई के सीईओ ने ऐसे ही प्रश्नों को निम्नानुसार स्पष्ट किया है:

1) रेस्तरां में खाद्य प्रसंस्करण की निगरानी करने वाले व्यक्ति के पास लाइसेंस की शर्तों में उल्लिखित योग्यता होनी चाहिए जैसेकि होटल प्रबंधन और कैटरिंग टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा।

2) खाद्य विश्लेषक की दो प्रतियों में से एक डीओ को भेजी गई है, एक निर्णयादेश के समय एफएससी को अग्रेषित की जाएगी।

3) केंद्रीय और राज्य लाइसेंसीकरण की न्यायसीमा विनियमन में निर्दिष्ट कट ऑफ सीमा पर निर्भर करेगी। तदनुसार राज्य और केन्द्र डीओ से लाइसेंसीकरण रिकॉर्ड को ट्रांसफर करने की उम्मीद की जाती है।

4) किसी भी आपात स्थिति के पैदा होने के मामले में केन्द्र लाइसेंस प्राप्त इकाइयों पर स्थानीय एफएसओ का क्षेत्राधिकार होगा।

5) तत्संबंधित राज्य दंड जमा करने के लिए अकाउंट प्रमुख तय कर सकता है।

6) वार्षिक कारोबार से संबंधित एफबीओ द्वारा भेजे जाने वाले दस्तावेज के प्रमाणीकरण के संबन्ध में, फॉर्म में यह उल्लेख किया गया है कि कोई भी सहायक दस्तावेज यदि मौजूद है तो भेजा जा सकता है।

7) आईपीसी की विशेष धारा के संबन्ध में खाद्य सुरक्षा अपराधों के पुलिस संज्ञानों को शीघ्र ही स्पष्ट कर दिया जाएगा।

16) हरियाणा:

- खाद्य और औषधि के रूप में ज्ञात एक अलग विभाग की स्थापना की गई है। स्वास्थ्य विभाग से 200 पदों को इस विभाग में लाया गया है।
- खाद्य सुरक्षा आयुक्त अधिसूचित किए गए हैं।
- स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को 1 वर्ष के लिए 21 जिलों में डीओ के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- हर जिले के लिए एक एफएसओ को अधिसूचित किया गया है और सरकार की मंजूरी के लिए 42 नए पदों की अनुशंसा की गई है।
- अतिरिक्त उपायुक्त को निर्णायक अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- आईटी आधारित पंजीकरण तथा लाइसेंसीकरण और सुदृढीकरण की प्रक्रियाएं प्रक्रियाधीन हैं और प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया गया है।
- राज्य में 2 प्रयोगशालाएं हैं और 2 खाद्य विश्लेषकों को नए अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया है।
- खाद्य सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण, सार्वजनिक वकीलों की नियुक्ति और विशेष अदालत की स्थापना का प्रस्ताव प्रेषित कर दिया गया है।
- राज्य को एफएसएसएआई के प्रेरण प्रशिक्षण की उम्मीद है क्योंकि कोई औपचारिक प्रशिक्षण संस्थान या केन्द्र राज्य में विद्यमान नहीं है, जहां प्रशिक्षण आयोजित किया जा सकता है।
- नामित अधिकारियों के लिए प्रेरण प्रशिक्षण अभी किया जाना है।

17) आन्ध्रप्रदेश:

- खाद्य सुरक्षा के लिए एक अलग विभाग का निर्माण किया जाना है।
- राजपत्रित खाद्य निरीक्षक और स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को डीओ के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- 48 पूर्ण कालिक खाद्य निरीक्षकों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- लाइसेंसीकरण और पंजीकरण प्रक्रिया को मौलिक संरचना के साथ मैन्युअली शुरु किया गया है।
- राज्य में पर्याप्त संरचना और कर्मियों सहित 1 प्रयोगशाला है।
- खाद्य विश्लेषक को अधिसूचित किया गया है।
- 2 और प्रयोगशालाएं अपग्रेड की जा रही हैं।
- एडीएम निर्णायक अधिकारी के रूप में अधिसूचित है और प्रेरण प्रशिक्षण किया जा चुका है।
- विशेष अदालत की स्थापना, खाद्य सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण और सर्वजनिक वकील की नियुक्ति विचाराधीन है।
- एफएसओ के लिए प्रेरण प्रशिक्षण और 12 डीओ को पूर्ण किया जा चुका है।

- राज्य अपनी पायलेट टेस्टिंग और आईआईएम, बैंगलोर द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट का इंतजार कर रहा है, जिसके आधार पर खाद्य सुरक्षा योजना तैयार की जा सकती है।

18) चंडीगढ़:

- खाद्य सुरक्षा आयुक्त और सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त अधिसूचित किए गए हैं।
- उपायुक्त को निर्णायक अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है और 3 एफएसओ को अधिसूचित किया गया है।
- खाद्य सुरक्षा अधिकारियों से स्थानीय क्षेत्र के मुताबिक खाद्य सुरक्षा योजना तैयार करने के लिए कहा गया है।
- खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रेरण प्रशिक्षण दिया गया है।
- राज्य में उसकी खुद की कोई प्रयोगशाला नहीं है और पंजाब और हरियाणा की प्रयोगशाला के साथ काम किया जाता है।
- राज्य की स्वयं की प्रयोगशाला की स्थापना का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है।
- खाद्य सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण का निर्माण प्रक्रियाधीन है।
- विशेष अदालतों के लिए अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधीश अधिसूचित किया गया है, और सार्वजनिक वकीलों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।
- एफबीओ के साथ बैठक के माध्यम से, और दंड व अपराधों के बारे में विज्ञापन देकर जागरुकता कार्यक्रम शुरु किया गया है क्योंकि त्यौहारी सीजन चल रहा है।

19) कर्नाटक:

- जिला निगरानी अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी को नामित अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- 130 खाद्य सुरक्षा अधिकारी अधिसूचित किए गए हैं।
- निर्णायक अधिकारी की अधिसूचना प्रक्रियाधीन है।
- राज्य में 4 प्रयोगशालाएं हैं, जिसमें से 1 अपग्रेडेशन की प्रक्रिया में है।
- सभी प्राधिकरणों के लिए प्रेरण प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया गया है।

20) जम्मू और कश्मीर:

- खाद्य सुरक्षा के लिए एक अलग खाद्य एवं औषधि प्रशासन की स्थापना की गई है।
- खाद्य सुरक्षा आयुक्त को सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।
- 22 जिले हैं, 25 डीओ की नियुक्ति की गई है, जिसमें से दो नगर निगम के तहत और एक डीओ केन्द्र के तहत काम करेंगे।
- पंजीकरण और लाइसेंसीकरण की प्रक्रिया अब तक शुरु नहीं हुई है।
- आईटी आधारित पंजीकरण प्रणाली अब तक शुरु नहीं की गई है।
- राज्य में 2 प्रयोगशालाएं हैं, जिसके लिए अंतर विश्लेषण पूर्ण किया जा चुका है।
- निर्णायक अधिकारी की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।
- खाद्य सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना अभी तक नहीं की गई है।
- एफएसओ के लिए प्रेरण प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया है, लेकिन डीओ के लिए प्रशिक्षण अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

- एफएसओ और डीओ दोनों पंजीकरण प्राधिकरण के लिए क्षेत्राधिकार का दावा कर रहे हैं और सीईओ के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि पंजीकरण प्राधिकरण एफबीओ के पास रहेगा और यह आसान दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान कर सकेगा ताकि एफएसओ पंजीकरण प्राधिकरण के लिए उपयुक्त हो।

21) हिमाचल प्रदेशः

- स्वास्थ्य सुरक्षा और नियमन के अलग निदेशालय राज्य में बनाए गए हैं।
- खाद्य सुरक्षा आयुक्त, नामित अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
- पंजीकरण और लाइसेंसीकरण की मैन्युअल प्रक्रिया शुरु हो चुकी है और आईटी आधारित पंजीकरण प्रक्रिया के लिए परामर्श एनआईसी है।
- राज्य प्रयोगशालाओं के लिए अंतर विश्लेषण किया जा चुका है और एनएबीएल मानदंड के अनुसार अपग्रेडेशन की प्रक्रिया में है।
- खाद्य सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना और विशेष अदालत प्रक्रियाधीन है।
- खाद्य सुरक्षा योजना का विकास प्रारंभिक चरण पर है, और आवश्यक प्रयास प्रक्रियाधीन हैं।
- खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने निम्नलिखित समस्याओं पर विचार–विमर्श कियाः

  सैंपल को 05–08–2011 से पहले पीएफए अधिनियम, 1954 के तहत एकत्र किया गया था जबकि खाद्य सैंपल से संबंधित मुकदमे या अन्य गतिविधियां एफएसएस अधिनियम, 2006 के प्रावधान के अनुसार या पीएफए अधिनियम, 1954 से पहले लागू प्रावधान के अनुसार बनाए जाएंगे। सीईओ के द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि कानून सैंपलिंग वाले दिन या अपराध किए जाने वाले दिन ही लागू होगा। इसलिए 05/08/2011 से पहले की तिथियों से संबंधित मामलों को पीएफए प्रावधान के तहत शुरु किया जाएगा।

22) मेघालयः

- खाद्य सुरक्षा विभाग को अधिसूचित किया गया है और राज्य में खाद्य सुरक्षा आयुक्त को नियुक्त किया गया है।
- पीएफए के तहत लाइसेंसीकरण को बन्द किया जाएगा और नए अधिनियम के तहत जारी रखा जाएगा।
- खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंजीकरण के कार्य पर ध्यान देंगे और लाइसेंसीकरण के कार्य पर नामित अधिकारी द्वारा ध्यान दिया जाएगा।
- पंजीकरण की आईटी आधारित प्रणाली प्रक्रियाधीन है।
- राज्य की प्रयोगशाला भली–भांति सुसज्जित नहीं है, बुनियादी सुविधाओं का अभाव है लेकिन अंतर विश्लेषण कर लिया गया है।
- राज्य उसका खुद का खाद्य विश्लेषक नहीं है और असम सरकार के खाद्य विश्लेषक की सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है।
- जिले के एडीएम को निर्णायक अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- खाद्य सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना प्रक्रियाधीन है।

उप–तकनीकी सलाहकार, खाद्य और पोषण बोर्ड, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने व्यक्त किया कि वे एफएसएसएआई के द्वारा अंतिम रूप दिए जाने के लिए विश्लेषण के प्रभारों और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं के समर्थन की इच्छा है। डब्ल्युसीडी की चौन्नई, मुंबई, कलकत्ता और दिल्ली मे स्थित चार प्रयोगशालाएं भी हैं। लेकिन, आईसीडीएस के लिए खाद्य सैम्पल के परीक्षण के लिए मंत्रालय द्वारा और अधिक प्रयोगशालाओं की सेवाओं की आवश्यकता है। अध्यक्ष ने जवाब दिया कि एनएबीएल अनुमोदित प्रयोगशालाओं के प्रभारों को पहले ही एफएसएसएआई के द्वारा पुनर्गठित कर लिया गया है और विवरण वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। उपभोक्ता संगठन के प्रतिनिधि श्री आर. देसीकन ने जोर दिया कि एफएसएसएआई को खाद्य सुरक्षा में लगे सभी पदाधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम क्षेत्रों में स्थित 4 प्रशिक्षण संस्थान निर्धारित करना चाहिए। उन्होनें यह भी बताया कि राज्य हमेशा किसी भी समय–सीमा के बिना खाद्य सुरक्षा के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास का वादा करते रहते हैं।

कार्यसूची मद सं. 4ए और 4बी

खाद्य बिजनेस ऑपरेटरों की एफएसएसएआई की केन्द्रीकृत लाइसेंसीकरण और पंजीकरण प्रणाली पर प्रस्तुतिकरण एनआईएसजी के अधिकारियों के द्वारा दिया गया था। प्रस्तुतिकरण का मुख्य सार राज्यों के लिए खाद्य बिजनेस ऑपरेटरों की एक एकीकृत, केन्द्रीकृत, सुरक्षित, स्केलेबल, कंप्यूटरीकृत लाइसेंसीकरण और पंजीकरण प्रणाली विकसित करने का था जो एफबीओ के लिए न केवल एक सहज इंटरफेस उपलब्ध कराएगी बल्कि एफबीओ से बड़ी संख्या में आवेदनों का प्रबन्धन करने के लिए राज्य प्राधिकरण भी तैयार करेगी। इसके लिए एक प्रदर्शन विभिन्न राज्यों/स.शा. प्रदेशों के अधिकारियों के लिए दिया गया। एनआईएसजी ने बताया कि हर डीओ को उनके परिसर में एक सप्ताह का प्रशिक्षण और 3 माह के लिए पीएमयू (न्यूनतम चार लोग) के रूप में कर्मचारी देकर आयुक्त खाद्य सुरक्षा कार्यालय पर राज्यों का समर्थन करने का प्रस्ताव है। एक वर्ष के लिए पर्यवेक्षण और रखरखाव भी प्रदान किया जाएगा। एफएसएसएआई ने उल्लेख किया कि यह सॉफ्ट्वेयर संभवतः अक्टूबर के पहले सप्ताह से उपलब्ध हो जाएगा। एक सदस्य की ओर से यह पूछा गया कि सैंपलिंग, संग्रह और रिपोर्ट आदि की दिशा में सॉफ्टवेयर में वृद्धि करने का स्कोप है या नहीं। सीईओ ने बताया कि मोबाइल आधारित मौके पर ही सैंपल कोड जनरेट करने की प्रणाली समेत समग्र ईगवर्नेंस प्रणाली बनाने की योजना है। यह उल्लेख किया गया कि ऐसे राज्य जहां आवश्यक हार्ड्वेयर और बुनियादी सुविधाएं हैं एनएसआईएसजी से संपर्क कर सकते हैं और बाद में एनएसआईएसजी राज्य की आवश्यकतानुसार राज्य के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर में विशेष परिवर्तन कर पाएगी। इन परिवर्तनों में 1 माह का समय लगेगा। इसलिए, एक राज्य सं.शा. क्षेत्रों में इस परियोजना को शुरु करने के लिए 2 माह का समय दिया गया है।

एक सदस्य ने वर्तमान सॉफ्टवेयर में निलंबन या रद्द विवरण को शामिल करने का सुझाव दिया और सुझाव दिया कि केंद्रीय और राज्य व्यवस्था अलग–अलग होनी चाहिए।

कार्यसूची मद सं. 5ए और 5बी

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर डॉ. जे.पी. डोंगरे के प्रस्तुतिकरण में मुख्यतः कवर किया गया है कि राज्य में अधिकारियों के लिए पहले से ही आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम और एफएसएस नियम और विनियम के तहत नए प्रावधानों के सुदृढीकरण के लिए नियमकों के लिए वांछ्नीय ज्ञान और संचार कौशल प्रदान करने के लिए निकट भविष्य में कार्यक्रम आयोजित किया जाना है।

कार्यसूची मद सं. 6 राज्यों/स.शा. क्षेत्रों के लिए सूचना अद्धतन प्रणाली–निर्धारित प्रारूप में मासिक रिपोर्ट

यह आग्रह किया गया था कि सभी राज्यों/स.शा.क्षेत्रों को एफबीओ पर सूचना प्रदान करनी चाहिए और इस प्रयोजन के लिए दो स्वरूपों में सैंपलिंग परिचालित की गई है। इसी प्रकार, राज्यों/स.शा. क्षेत्रों से संबंधित जानकारी वेबसाइट पर अद्धतन की जा सकती है और वेबसाइट तक पहुंच बनाने के लिए पासवर्ड राज्यों को भेज दिये गए हैं।

कार्यसूची मद सं. 8 शिकायत मशीनरी की स्थापना/प्रत्येक राज्य में हेल्पलाइन/स.शा.प्रदेश–शिकयतों/खेद की हैंडलिंग के लिए नोडल अधिकारियों का नामांकन

सीईओ के द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि हर राज्य को एक नोडल अधिकारी नामित किया जाना चाहिए और शिकयतों/खेद की हैंड्लिंग के लिए ई–मेल पता बनाया जाना चाहिए और अपनी जानकारी का विवरण देने के लिए एक अलग वेबसाइट होने का सुझाव दिया।

कार्यसूची मद सं. 9 माइक्रोबाइयोलॉजिकल परीक्षण के लिए सैंपलिंग प्रक्रिया पर प्रस्तुतिकरण

माइक्रोबायोलॉजिकल परीक्षण के लिए सैंपलिंग प्रक्रिया पर प्रस्तुतिकरण एफएसएसएआई के एडीजी (पीएफए) डॉ. धीर सिंह के द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसने विभिन्न माइक्रोबायोलॉजिकल परीक्षण के लिए उपकरण और सैंपलिंग का पालन किए जाने के लिए स्वच्छ प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला। एक सदस्य के द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि एफएसओ को इन माइक्रोबायोलॉजिकल सैंपलिंग परीक्षण के बारे में अच्छी तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और तापमान रखरखाव और सड़न रोकनेवाली पैकिंग के लिए प्रक्रिया स्थापित की जानी चाहिए। एफएसएसएआई के सीईओ ने स्पष्ट किया कि माइक्रोबायोलॉजिकल सैंपलिंग के मामले में एफबीओ और एफएसओ दोनों के लिए रोगाणुहीन किट का विकास करने के लिए एक तंत्र निर्धारित किया जाएगा। उन्होंने माइक्रोबायोलॉजिकल सैंपलिंग प्रक्रिया पर भी एफबीओ के प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

कार्यसूची मद सं. 10 जोखिम विश्लेषण पर प्रस्तुतिकरण

जोखिम प्रबंधन पर प्रस्तुतिकरण एनएसआईजी के द्वारा बनाया गया था। प्रस्तुतिकरण ने जोखिम विश्लेषण की संरचना पर प्रकाश डाला जो कि मूलतः खाद्य सुरक्षा नियंत्रण के लिए एक नया दृष्टिकोण है। खाद्य प्रसंस्करण के किसी भी चरण पर घटने वाले जोखिमों का प्रभावी रूप से प्रबन्धन करने के लिए संरचना मे तीन घटक शामिल हैं और वे हैं– जोखिम मूल्यांकन, जोखिम प्रबन्धन और जोखिम संचार। सभी घटकों के बीच संतुलन से प्रभावी जोखिम प्रबन्धन प्रणाली को बढावा मिलेगा।

कार्यसूची मद सं. 11 भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव का ड्राफ्ट

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव के ड्राफ्ट पर प्रस्तुतिकरण एफएसएसएआई के उप निदेशक श्री संजय सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके तहत प्राधिकरण के लक्ष्य को पाने के लिए बनाई जाने वाली सभी कार्ययोजनाओं की चर्चा की गई। चर्चा के मुख्य बिन्दु थे – अनुसन्धान एवं विकास केन्द्र, प्रवर्तन लाइसेंस संरचना, खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं, उपभोक्ताओं हितधारकों के बीच जागरुकता।

सीएसी की 5वीं बैठक के कार्रवाई बिंदुः बैठक के दौरान आयोजित की गई चर्चा के आधार पर कार्यान्वयन के निम्नलिखित बिंदु उभरे।

1. राज्य/स.शा. क्षेत्रों में एफएसएस अधिनियम के प्रभावी क्रियांवयन से संबंधित मुद्दों पर स्पष्टीकरण समय–समय पर जारी किया जाएगा जिन्हें एफएसएसएआई की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।
2. सभी स्पष्टीकरणों को अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों या अन्यथा के रूप में संबोधित और अपलोड किया जाएगा।
3. राज्य और केन्द्र स्तर पर संरचना क्रियांवित करने के लिए समय रेखा तय की जानी चहिए।
4. खाद्य सुरक्षा पर राज्य स्तर पर वेबसाइट और हेल्पलाइन तैयार करना और एफएसएसएआई की वेबसाइट और हेल्पलाइन के साथ उनका एकीकरण करना।
5. लाइसेंस के ट्रांसफर के संबन्ध में यह हो सकता है कि इकाई केंद्रीय लाइसेंसीकरण के तहत कार्य करे लेकिन रिकॉर्ड राज्य के साथ मौजूद हैं, अतः उन रिकॉर्डों को राज्य के संबंधित नामित अधिकारी के द्वारा केन्द्र को और कट ऑफ सीमा/ क्षमता के आधार पर केन्द्र से राज्य को ट्रांसफर किया जाना है।
6. प्रणाली के प्रभावी कार्यप्रणाली के लिए संबंधित क्षेत्र मे विशेषीकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और पूर्णकालिक नामित अधिकारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए।
7. अधिनियम के तहत सभी वैधानिक कार्यप्रणाली की नियुक्ति करते समय इस पर नियम 2011 और एफएसएस अधिनियम 2006 के तहत निहित रैंक और योग्यता के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। यदि किसी बदलाव का सुझाव दिया जाता है, तो इस पर मंत्रालय/विभाग के कानून द्वारा संचालित और परामर्श किया जाना चाहिए।
8. राज्यों/स.शा.क्षेत्रों को समयबद्ध तरीके से पंजीकरण प्राधिकरण को सूचित करना होता है। तब पंजीकरण इस तरह होना चाहिए कि पंजीकरण प्राधिकरण एफबीओ के सरलतम दृष्टिकोण के भीतर हो।
9. जागरुकता लाने के लिए एफएसएसएआई 12वीं पं.व.यो. के तहत पर्याप्त बजट के साथ एक महत्वाकांक्षी योजना बना रही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य सुरक्षा के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए पंचायतों, नगर निकायों और एफबीओ के साथ बातचीत शुरु कर सकते हैं।
10. बड़ी संख्या में या तो खाद्य विज्ञान या खाद्य प्रौद्योगिकि या खाद्य एवं पोषण में डिग्री रखने वाले खाद्य सुरक्षा पेशेवरों की भर्ती से संबंधित योजना। यह उल्लेख किया गया था कि कॉलेज या संस्थानों में खाद्य सुरक्षा का पाठ्यक्रम तय करने के लिए ऑडिटिंग एजेंसियों, खाद्य तकनीकि संस्थानों के पेशेवरों समेत 2 और 3 नवंबर को एफएसएसएआई एक वर्कशॉप आयोजित करेगा।
11. पुरस्कार के लिए राज्य सरकार को अधिनियम में उल्लिखित फंड के प्रभावी उल्लेख के लिए नियम बनाने पड़ते हैं।
12. शुरुआत में एफएसओ, डीओ और एओ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा आयोजित किए गए लेकिन भविष्य में प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा उनके संबंधित प्रशिक्षण संस्थानो में आयोजित किए जाएंगे। ऐसे प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इस प्रयोजन से देश के विभिन्न भागों में 5–10 संस्थान क्षमता निर्माण के लिए निर्धारित किए जा सकते हैं।

13. डीओ और एफएसओ के प्रशिक्षण के लिए एक विस्तृत पाठ्यक्रम भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान द्वारा तैयार किया गया है और अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण तद्नानुसार प्रदान किया जाएगा।
14. आईआईएम, बैंगलोर ने पंचायतों के लिए खाद्य सुरक्षा योजना तैयार कर ली है जिसकी चर्चा के.स.स. की अगली बैठक मे की जाएगी।
15. राज्यों/स.शा.क्षेत्रों को अपने लंबित मामले प्राधिकरण के साथ शेयर करने होंगे ताकि उन पर उचित कार्यवाही की जा सके। यह नीति राज्यों के लिए और अधिक विशिष्ट होगी और इसे गंभीर और गैर–गंभीर मामलों के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। इसके लिए मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किया जाना है।
16. राज्यों/स.शा.क्षेत्रों को लाइसेंसीकरण/पंजीकरण की ऑनलाइन प्रणाली शुरु करने की अपनी रुचि की पुष्टि करनी होगी।
17. आईटी सक्षम लाइसेंसीकरण और पंजीकरण के संबन्ध में, प्राधिकरण समयबद्ध तरीके से इंतजार कर रही है कि कितने राज्य इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तदा नुसार एजेंसियां इस सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज करने के लिए आवंटित की जाएंगी। एफएसएसएआई राज्य अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक सर्वर प्रदान करेगा और उनका रखरखाव करेगा और नामित अधिकारियो और खाद्य सुरक्षा आयुक्त के अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित करके सॉफ्टवेयर का लाइसेंसीकरण के लिए एक निश्चित संख्या में श्रम शक्ति प्रदान करेगा।
18. मोबाइल प्रयोगशाला और तीव्र परीक्षण विकसित किया जा रहा है। वैधता का परीक्षण तीव्र परीक्षण किट में आयोजित किया जाना है।
19. राज्य जिन्होनें वर्ष 2010 के लिए अपनी रिपोर्ट नहीं दी है उन्हें जल्द से जल्द भेजना है।

बैठक सभी को धन्यवाद देते हुए समाप्त हुई।

.....

अनुलग्नक–1

दिनांक 27 सितंबर, 2011, को होटल ताज विवांता, नई दिल्ली में 11.00 बजे आयोजित एफएसएसएआई की केंद्रीय सलाहकार समिति की पांचवीं बैठक के दौरान निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित थे।

1. श्री वी. एन. गौड़, अध्यक्ष, सीएसी एवं सीईओ, एफएसएसएआई
2. श्री सतीश चंद्रा, खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) चंडीगढ़, पंजाब
3. श्रीमती स्तुति केकर, प्रधान सचिव, लखनऊ
4. श्री आर. देशिकरन, ट्रस्टी, कंसर्ट, चेन्नई
5. श्री यू.के. मित्रा, खाद्य सुरक्षा उपायुक्त, अरूणाचल प्रदेश
6. डॉ. रवि शंकर ककर, उपनिदेशक, पी.एच.आई., बैंगलोर, कर्नाटक
7. श्री प्रदीप चोरडिया, चोरडिया फूड प्रोडक्ट्स लिमि., पुणे
8. श्री बी.सी. जोशी, उपायुक्त, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली
9. श्री. के.डब्ल्यू. मरबानिएग, अतिरिक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मेघालय
10. डॉ (श्रीमती) पी. सुचरित्रा मूर्ति, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, आंध्र प्रदेश
11. डॉ अनिल शर्मा, सलाहकार, उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड
12. डॉ बी. एल. शर्मा, जे.डी.आर.एम, प्रतिनिधि खाद्य आयुक्त, राजस्थान
13. डॉ. एच.जी. कोशिया, आयुक्त, एफडीसीए, गुजरात
14. श्री. महेश सोनी, उपसचिव (एफडीसीए), गुजरात

15 श्री आर.एस. पाल, नामित अधिकारी, कार्यालयः खाद्य सुरक्षा आयुक्त, उत्तराखंड

16. श्री के.एस. सिंह, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, दिल्ली
17. श्री आर.एम. शर्मा, राज्य औषधि नियंत्रक एवं संयुक्त आयुक्त (एफडीए), पंचकुला
18. श्री सलिम ए. वेलजी, निदेशक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन और अपर आयुक्त खाद्य सुरक्षा, गोवा
19. श्री टेखम ब्रोजेंद्रो खाबा मेटई, उपायुक्त खाद्य सुरक्षा, मणिपुर
20. श्री सतिश गुप्ता, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, जम्मू एवं कश्मीर
21. श्री गिरिजा वैद्यनाथन, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, तमिलनाडू

22. श्री संजय प्रसाद, निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

23. डॉ एस सी खुराना, कृषि एवं सहकारिता के विपणन एवं निरीक्षण विभाग का निदेशालय, कृषि मंत्रालय, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, फरीदाबाद विपणन एवं निरीक्षण विभाग के निदेशालय

24. सुश्री अर्चना अग्रवाल, सचिव एवं आयुक्त, एफडीए, उत्तर प्रदेश

25. डॉ. जी.एस भुल्लर, उपनिदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चंडीगढ़, पंजाब

26. डॉ जी. एल. उपाध्याय, उप खाद्य सुरक्षा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा विभाग, पुडुचेरी

27. श्री महेश जगड़े, आयुक्त खाद्य सुरक्षा, महाराष्ट्र

28. श्री अश्विनी कुमार राय, आयुक्त खाद्य सुरक्षा, मध्य प्रदेश

29. श्री के. सुब्राह्मानियम, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, चंडीगढ़

30. श्री जी,एच. राठौड़, संयुक्त आयुक्त (एफडीए), महाराष्ट्र

31. श्री रोहित जामवाल, संयुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त, हिमाचल प्रदेश

32. डॉ. आर.टी. पोरके पांडियन, निदेशक, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं निवारक औषधि, चेन्नई

33. श्री समीर बारडे, सहायक सचिव जनरल, फिक्की, नई दिल्ली

34. डॉ. एस. प्रेमी, प्रधिनिधि संयुक्त सचिव, डॉ श्रीरंजन, उपतकनीकी सलाहकार, खाद्य एवं पोषण बोर्ड, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

35. डॉ सतबीर सिंह, एसएमओ एवं डीओ, चंडीगढ़

36. श्री आर.के. आहूजा, नामित अधिकारी, पीएफए विभाग, भारत सरकार, दिल्ली

37. श्री एच.जी. उप्रेती, सलाहकार, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली

* यह नोट किया जा सकता है कि प्रतिभागियों के नाम उपस्थिति सूची में दर्ज क्रम में व्यवस्थित किए गए है और इनमें वरिष्ठता क्रम का अनुसरण नहीं किया गया है। नाम की वर्तनी में यदि कोई भूल है, तो उसके लिए खेद है।